



PATWARI PROJECTS

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

Details to Project Launched in past five years

1. Kapil Nagina Apartment — Rera No — BRERAP00020-1/09/R6/18 - Project Completed
2. Anand Residency — Rera No BRERAP00020-7/1348/R-1185/2021 - Ongoing Project

Enclosure — Completion Certificate of Kapil Nagina Apartment

For PATWARI PROJECTS

Ghanashyam Patwari
Partner

To,

Date: 08.07.2020

Real Estate Regulatory Authority
5th Floor, Bihar State Building Construction
Corporation Limited Campus
Shastri Nagar Patna- 800023

Sub: Submission of Occupancy Certificate for **KAPIL NAGINA APARTMENT** at Village-Mustaffapur, Rajnagar, Danapur Khagul Road having Rera No: BRERAP00020-1/09/R6/18


Dear Sir,

With reference to above subject we are submitting Occupancy certificate received for above mentioned project.

Enclosure- Copy of Occupancy certificate

Yours Faithfully

For PATWARI PROJECTS


Ganeshyaan Patwari
Partner

For Patwari Projects



नगर परिषद् दानापुर निजामत

तकियापर, दीघा, दानापुर

Email- nagarparishaddanapur@gmail.com

फलम-VIII

अधिभोग प्रमाण-पत्र

उपविधि संख्या- 16(1),(3)

नगर परिषद् दानापुर विहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित दानापुर विकास योजना कार्यपालक पदाधिकारी आयोजना स्कीम के अंतर्गत आच्छादित दानापुर के प्लौट नं०-६६०, खाता नं०-२०१, तौजी नं०-५२७६, थाना नं०-३६ तथा मौजा- मुस्तफापुर जो भवन का नाम "कपील नगीना अपार्टमेन्ट" की बाबत किया गया निर्माण का कार्य मनोज कुमार निवंधन सं०-१० / ARCH/2015/NPDN, श्री मनोज कुमार, निवंधन सं०-१५ / STR-E/2015/NPDN, पर्यवेक्षण में समर्पित कार्य पूर्णता (समापन) प्रमाण-पत्र के अनुसार पटवारी प्रोजेक्ट के हासा निर्माण कार्य पुरा कर लिया गया है। निरोक्षण करने पर देखा गया कि उपर्युक्त भूखण्ड की वासत किए गया निर्माण अनुमोदित योजना तथा पत्र सं०- ७१/१७-१८ दिनांक 30.08.2017 के हासा अधिरोपित शर्तों के अनुरूप है। निम्नलिखित के अध्यधीन, भवन के आवास हेतु अधिभोग के लिए अनुमति दी जाती है :-

B/U AREA STATEMENT

B/U AREA STATEMENT

Ground Floor	-----	34.68 sqm.
First Floor	-----	737.73 sqm.
Second Floor	-----	737.73 sqm.
Third Floor	-----	737.73 sqm.
Total B/U Area	-----	2247.87 sqm.

1. गणित सुल्क को जमा करने
2. विहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का अकारस अनुपालन करने
3. रेरा (RERA) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का अकारस अनुपालन करने
4. पुराना भवन उपविधि / नया भवन उपविधि, 2014 के प्रावधानों का अकारस अनुपालन करने की शा पर वास्तुविद के प्रमाण-पत्र एवं नगर परिषद् अभियता के सत्यापन के आधार पर उपर्युक्त भवन प्लान का Occupancy Certificate निर्गत किया जाता है।

टू०८

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् दानापुर निजामत

आपांक.- ६७३ दिनांक:- ४/३/२०२०

प्रतिलिपि:- मेसर्स पटवारी प्रोजेक्ट, पार्टनर-श्री धनश्यम पटवारी, पिता-स्व० दुर्ग इल पटवारी एवं अन्य, पता-शीष नं०-०४, ओम ब्यॉक्स, एस०पी० बर्मा रोड, पटना-०२ की सूचनाएँ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् दानापुर निजामत

औपचारिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र
बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च)(iii) के अन्तर्गत)
निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना का कार्यालय।

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना।

सेवा में,

धनश्याम पटवारी एवं अन्य
पार्टनर,
पटवारी प्रोजेक्ट

संदर्भ :- क्रमांक. २३१.५..... दिनांक... २९.५.२०२१.

आवेदनकर्ता में बास्तुविद, मनोज कुमार (विशिष्ट आई.डी.नं 10/Arch/2015/NPDN)

विषय :- भवन निर्माण के लिए औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत।
महाशय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कैंच (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्ता में Patwari Projects के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (च) (iii) के अंतर्गत औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम M/s Patwari Projects, श्री धनश्याम पटवारी, पिता-स्वर्गीय दुर्गा दत्ता पटवारी एवं अन्य का प्लॉट नं ०-२३४, खाता नं ०-१३९, तौजी नं ०-१८, धाना नं ०-३७, धाना-खगील, मौजा-कोठवां, जिला-पटना अधिभोग आवासीय उप श्रेणी भवन की छोड़ाई 17.98 (मीटर *मे) फर्श क्षेत्र 8992.81 वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या ५, तलघर की संख्या १, स्लिट/भूलल की संख्या १, भवन के ब्लॉक की संख्या २, प्रत्येक भैंजिल का औसत अधिभोग भार 402, लिफ्ट की संख्या २, फायर लिफ्ट की संख्या शून्य, रैम्प की संख्या १, आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या शून्य, फायर टावर की संख्या शून्य है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा-निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित बास्तुविद/भवन निर्माणकर्ता/भू-स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर ग्रन्तिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अप्रसारित किया जाता है :-

- (1) भवन निर्माणकर्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर 4.50 मी०, दक्षिण 4.50 मी०, पूर्व 6.50 मी०, पश्चिम 4.50 मी०) एवं पलायन के साथ (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या ३, छोड़ाई 0.91,2.72 एवं 2.74 (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या ३, छोड़ाई 0.91,1.75 एवं 1.70 (मीटर)) प्रस्तावित किया गया है।
- (2) खुला स्थान एवं पहुँच-

(क) भवन के चारों तरफ तत्समय प्रवृत्त भवन उपचारित एवं अन्य तत्समयी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं छुपाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं छोड़ी हो जो 20 मिट्रिक टन अग्निशमक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की छोड़ाई 4.5 मीटर एवं झोड़ाई ५ मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

- (3) बनावट :-

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपचारित, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग-अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बाँटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा।

For PATWARI PROJECTS

Ganeshyam Patwari
Partner

(ग) भवन को आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आईएस० गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डफ्ट का बल्ड के पास बैन्टलेशन का प्रावधान होगा। सभी डच्चे डफ्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा।

(4) सीढ़ी :-

(क) भवन का सीढ़ी अंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उर्फ भाल मै खाली भन्ट छोड़ जौ सीढ़ी के छोड़ भेक्षण धीरो का 15 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के ब्रॉम सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के आहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमर से अलग होगा एवं किसी भी कमर में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी बाली दीवाल की छत आस-पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं चात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होनी चाहिए।

(च) तलाघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलाघर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा।

(5) अग्नि सुरक्षा प्रणाली :- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अप्रसारित किया जाता है:-

(क) होज रील

(ख) बेट राईबर-सह-डाइन कमर सिस्टम (2 अद्द)

(ग) यार्ड हाईडेन्ट सिस्टम

(घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम

(ङ) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम

(च) स्प्रीबलर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)

(छ) भूतल स्टैटिक टैक की क्षमता 75000 लीटर

(ज) ओभर हेड चाटर टैक 27200+11200 एवं 33702+15436 लीटर क्षमता

(झ) एक पम्प हाउस 2000 एल.पी.एम., इलेक्ट्रोक एवं डीजल 180 एल.पी.एम., जोकी पम्प शून्य एल.पी.एम., बूस्टर पम्प

(ञ) फायर एक्सटीग्यूमर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे- बिहार भवन उपविधि, 2014, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित बहुमंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभोग के लिए चांचित अन्य शर्तों का पालन किया जाएगा। कुछ शर्तें निम्न प्रकार है :-

(क) लिफ्ट :-

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट डच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्तचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था

For PATWARI PROJECTS

Ganeshyan Patwari
Partner

किया जा सकता है। बैंकल्पिक रूप से लिफट इस तरह से बायर्ड होगा कि विजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने को स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक बेटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट सॉफ्ट मैं कर धूंआ निकासी हेतु अवश्यक हो जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्ट्रोकलर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति को विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से बैंकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार अवश्य बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई० ऐस० गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार अवश्य अनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(छ) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिंग भल्कु के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत रुहर पर 900 एल०पी०एम० पव्व के साथ होगा। आई० ऐस० 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई०ऐस०आई० मार्कड अग्निशामन यंत्र, फायर चेक दरवाजा, हस्तचालित कॉल अलार्म प्लाईन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि नियोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलाधर में स्वचालित स्ट्रोकलर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास द्वारा होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की अवश्यकता से कम हो, जहाँ अग्निशामक बाहन आसानी से पहुँच सके। ओभर हेंड बाटर स्टैटिक टैक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिकास के पूर्व हो जाना चाहिए।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबल सील होनी चाहिए।

(च) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धूंआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकोड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लॉर में खुला स्थान - ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धूंआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि नियोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान vertical enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक vertical openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित अवश्यक होनी चाहिए :-

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते बकत अधिकासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धूंआ के फैलाव को रोकने के लिए प्रयोग सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटे की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धूंआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।


(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक बेटिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा।

(iv) अतिरिक्त सजावट से जहरीला धूंआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धूंआ नियोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रीशोनोकरण/सीढ़ियों का प्रेसराईजेशन/ तलाधर का बेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार करना होगा।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं बैटिलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिकासित किया जाएगा, जिससे आग एवं धूंआ एक फ्लॉर से दूसरे फ्लॉर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धूंआ को पौलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सरीटीव डिवाईस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धूंए के हजार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग-अलग एयर हैडलिंग यूनिट होना चाहिए। फायर फ्लैप्स को

For PATWARI PROJECTS


Pranavshyaan Patwari

Partner

ए०सी० सिस्टम मे प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की हितति मे स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धूआ का फैलाव रोका जा सके।

(vii) विद्युत अधिष्ठापन- विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमाबली एवं संबंधित आईएस०/संहिता के प्रावधान के आलोक मे होंगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नहीं मे वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंस्पेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/बैकलिपक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्यापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा।

(viii) भवन का अधिकास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वार्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट डिल किया जाना चाहिए।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी- एन०सी०सी० 2016 और बिहार अग्निशमन सेबा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का ए०एम०सी० योग्य फर्म या ल्यकित को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक मे भवन के सेट बैंक का चेकिंग वास्तुविद/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की हितति मे भविष्य मे होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले मे, जिम्मेवारी ढेवलपर्स/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नहीं होगी।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात् राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तुतिया भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यतः अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।

(8) इसे औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र याना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जौखन सुरक्षा अनुशासनों के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जौच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी विन्दुओं को जौच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(9) अनुमोदित भवन योजना मे जिन पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की हितति मे इस औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा याप्त किया जाता है/ऑनलाइन लिंगि किया जाता है।
अनुलग्नक

- 1) मे० वास्तुविद, मनोज कुमार
- 2) अध्यक्ष नगर निगम, पटना

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
बिहार, पटना।

For PATWARI PROJECTS

Gaurav Jayam Patwari
Partner

A. K. Salampuria & Associates

Chartered Accountants

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

We A.K. Salampuria & Associates, Chartered Accountants hereby certify that the firm named "**PATWARI PROJECTS**" having R/o at 4, Om Complex SP Verma Road, Patna 800001, PAN-AATFP9263B has Advances from customers amounting to **Rs. 69,30,171.51/-** (detailed below) for the project named "**KAPILNAGINA APARTMENT**" as on 31.03.2021 based on the audited balance sheet of the firm.

S.No.	Name	Amount (Rs.)
1	Vishal Patwari	34,13,297.80
2	Bhawani Shankar Agarwal	35,16,873.71

We hereby certify that no advance has been taken by the firm "**PATWARI PROJECTS**" in the project named "**DEVKINANDAN VATIKA**".

For **A. K. Salampuria & Associates**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 004285C

Place: Patna

Date: 27.01.2022


(CA Akshya Singhania)
Partner
Membership No. 424348

UDIN- 22424348AAAABW2592



Head Office : 1st Floor, Above Mica Sales, Near Chanakya Cinema, Exhibition Road, Patna - 800 001, Bihar

Phone: 9334112075, 9835224585, Email: info@aksalampuria.com, casujeet201@gmail.com, anand.dokania@gmail.com, Website: www.aksalampuria.com

Branches at : Hazaribagh, Mumbai, New Delhi, Jaipur